छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त–2026–05

दिनांक 25 जून, 2026, के अपराह्न 04:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित कार्य परिषद कक्ष, सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन में कार्य परिषद की 2026/05वीं ऑनलाइन आपात बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुये :–

1.	**प्रो० विनय कुमार पाठक,** कुलपति, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय कानपुर।	अध्यक्ष
2.	**प्रो० सुधीर कुमार अवस्थी,** प्रति–कुलपति, डीन, लाइफ सांइस, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय कानपुर।	सदस्य
3.	**मा0 न्यायमूर्ति, श्री एस0 के0 त्रिपाठी,** (से0नि0), (न्यायिक सदस्य), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	**श्रीमती नीतू सिंह,** (सामान्य सदस्य), 15/198, ए, सिविल लाइन्स, कानपुर (लिटिल शेफ होटल)।	सदस्य
5.	**डॉ0 उमेश पालीवाल, (एम0डी0),** (सामान्य सदस्य), पॉलीवाल डायगनोस्टिक्स, प्रा0लि0, कानपुर।	सदस्य
6.	**प्रो0 सत्याकी रॉय,** (सामान्य सदस्य), प्रो0 एवं विभागाध्यक्ष, डिजायन एवं मीडिया प्रोद्योगिकी विभाग, आई0आई0टी0, कानपुर।	सदस्य
7.	**प्रो० अंशू यादव,** संकायाध्यक्ष–बिजनेस मैनेजमेंट, सी0एस0जे0एम0 वि0वि0, कानपुर।	सदस्य
8.	**डॉ0 विशाल अवस्थी,** संकायाध्यक्ष, इंजी0 एण्ड टेक्नोलॉजी, सी0एस0जे0एम0 वि0वि0, कानपुर।	सदस्य
9.	**डॉ० महेन्द्र सिंह,** प्राचार्य, के0के0 कालेज, इटावा।	सदस्य
10.	**डॉ0 पूनम विज,** प्राचार्या, कानपुर विद्या मंदिर गर्ल्स कॉलेज, कानपुर।	सदस्य
11.	**डॉ० जयवीर सिंह,** प्राचार्य, नेहरू कालेज छिबरामऊ, कन्नौज।	सदस्य
12.	**प्रो0 नीरज कुमार सिंह,** स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।	सदस्य
13.	**डॉ0 मृदुलेश सिंह,** सह–आचार्य, एस०बी०एम०, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय कानपुर।	सदस्य
14.	**डॉ० प्रभात कुमार द्विवेदी,** सह–आचार्य, सह–आचार्य, एस०बी०एम०, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय कानपुर।	सदस्य
15.	**प्रो0 सुधांशु पाण्डया,** आचार्य–स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
16.	**डॉ0 प्रमोद कुमार यादव,** सह–आचार्य, स्कूल ऑफ लाईफ साइंस एण्ड बॉयोटेक्नोलॉजी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
17.	**डॉ0 पुष्पा ममोरिया,** सह–आचार्य, यू0आई0ई0टी0, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
18.	**डॉ0 प्रियंका मौर्य,** सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य

19.	**डॉ० अनुराग सक्सेना,** आचार्य, डी०ए०वी० कालेज, कानपुर।	सदस्य
20.	**डॉ0 साधना चतुर्वेदी,** आचार्य, अंग्रेजी विभाग, डी0ए0वी0, कालेज कानपुर।	सदस्य
21.	**श्री राकेश कुमार मिश्र,** कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा मा0 कार्य परिषद में नवनियुक्त सदस्यों, प्रो0 अंशू यादव, संकायाध्यक्ष–बिजनेस मैनेजमेंट, सी0एस0जे0एम0यू0 कानपुर, डॉ0 साधना चतुर्वेदी, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, डी0ए0वी0, कालेज, कानपुर तथा उपस्थित माननीय सदस्यों का स्वागत किया तथा कार्यकाल समाप्त कर चुके सदस्य प्रो0 आरती सक्सेना एवं डॉ0 सुविंदर जीत सिंह कालरा को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात् मा0 कुलपति जी (अध्यक्ष कार्यपरिषद) की अनुमति से कार्यपरिषद की बैठक आरम्भ की गयीः–

मद सख्या	विषय
2026–5.1	**विश्वविद्यालय में कार्यरत निलम्बित शिक्षकों के प्रकरणों पर विचारः–** **(i)** कार्य परिषद की बैठक दिनांक 12.06.2026 के मद संख्या 2026.4.7 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में डॉ0 प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य (निलम्बित) को इस आशय की निर्गत ''कारण बताओ नोटिस'' (Show Cause Notice) कि क्यों न उनके विरूद्ध दीर्घ दण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही की जाय, के क्रम में डॉ0 प्रमोद कुमार द्वारा दिया गया उत्तर दिनांकित 18.06.2026 मा0 कार्यपरिषद के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत। **(ii)** कार्य परिषद की बैठक दिनांक 12.06.2026 के मद संख्या 2026.4.8 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में डॉ0 पंकज द्विवेदी, सह–आचार्य (निलम्बित) को इस आशय की निर्गत ''कारण बताओ नोटिस'' (Show Cause Notice) कि क्यों न उनके विरूद्ध दीर्घ दण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही की जाय, के क्रम में डॉ0 पंकज द्विवेदी द्वारा दिया गया उत्तर दिनांकित 19.06.2026 मा0 कार्यपरिषद के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत। **(iii)** प्रो0 मुकेश रंगा, (निलम्बित) के निलम्बन प्रकरण की जांच हेतु गठित अनुशासनिक समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांकित 23.06.2026 मा0 कार्य परिषद के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत। **(iv)** डॉ0 राजेश कुमार, सह–आचार्य (निलम्बित), के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रकरण अनुशासनिक समिति को संदर्भित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।
	विश्वविद्यालय में कार्यरत निलम्बित शिक्षकों के प्रकरणों पर मा0 कार्यपरिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गयेः– **(i)** डॉ0 प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य (निलम्बित) द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर दिनांकित 18.06.2026 एवं अनुशासनिक समिति की जांच आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त डॉ0 प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य (निलम्बित) को संचयी प्रभाव के साथ दो वार्षिक वेतनवृद्धियों को स्थायी रूप से रोकने, CAS प्रमोशन पर आगामी दो वर्ष के उपरान्त ही नियमानुसार विचार किये जाने तथा आगामी 03 वर्ष तक शोध कार्य कराये जाने से वंचित रखने के दण्ड से दंडित करने के साथ निलम्बन समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया। **(ii)** डॉ0 पंकज द्विवेदी, सह–आचार्य (निलम्बित) द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर दिनांकित 19.06.2026 एवं अनुशासनिक समिति की जांच आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त डॉ0 पंकज द्विवेदी, सह–आचार्य (निलम्बित) को संचयी प्रभाव के साथ तीन वार्षिक वेतनवृद्धियों को स्थायी रूप से रोकने, CAS प्रमोशन पर आगामी 4 वर्ष के उपरान्त ही नियमानुसार विचार किये जाने तथा सम्पूर्ण सेवा काल के दौरान इन्हे परीक्षा, प्रशासनिक दायित्व तथा विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी के पद का दायित्व न दिये जाने के दण्ड से दंडित करने के साथ निलम्बन समाप्त किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

	(iii) प्रो0 मुकेश रंगा को अनुशासनिक समिति की जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराते हुए उन्हें 10 कार्य दिवस का अवसर प्रदान करते हुए इस आशय का "कारण बताओ नोटिस" (Show cause notice) देते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाय कि क्यों न उनके विरूद्ध दीर्घ दण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही की जाय। निर्गत नोटिस के क्रम में प्रो0 मुकेश रंगा द्वारा दिये गये उत्तर को आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाय जिससे कार्य परिषद द्वारा प्रो0 मुकेश रंगा के विरूद्ध समुचित दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जा सके। **(iv)** प्रकरण अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–सी.एस.जे.एम.वि.वि./सा.प्रशा./2065/2024 दिनांक 04.05.2024 द्वारा गठित अनुशासनिक समिति को संदर्भित किया जाय। साथ ही कार्यपरिषद द्वारा मा0 कुलपति जी को सम्बोधित, प्रति–कुलपति, सी0एस0जे0एम0वि0वि0 के पत्र संख्या सी0एस0जे0एम0यू0/पी0वी0सी0/37/2026 दिनांक 24.06.2026 का संज्ञान लिया गया जिसमें यह उल्लिखित है कि डा0 राजेश कुमार द्वारा अभी तक प्रति–कुलपति कार्यालय में सम्पर्क नही किया गया है और न ही प्रति–कुलपति कार्यालय में उपस्थित पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज नही कराई जा रही हैं। डा0 राजेश कुमार का यह कृत्य न सिर्फ अनुशासनहीनता की श्रेणी मे आता है अपितु इससे जीवन निर्वाह भत्ता आहरित किये जाने में भी कठनाई आ सकती हैं। मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के पत्र संख्या सी0एस0जे0एम0यू0/09/2018 RTI/567/2018 दिनांक 25/05/2018 का भी संज्ञान लिया गया जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचनार्थी सुश्री कल्पना पुत्री तिलकेन्द्र शेखर, 1327, गली नं0–6, पंजाबी कालोनी, मैनपुरी–205001 को डा0 राजेश कुमार के सम्बन्ध में यह सूचना प्रेषित की गई है कि उनका पता Village Bahera, P.O. Durgawati Distt, Bhabhua, Bihar है तथा यह अंकित है कि जाति प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नही हैं। विश्वविद्यालय द्वारा डॉ0 राजेश कुमार से उनके तथा उनके माता–पिता के मूल निवास, माता पिता के जीवित होने की दशा में उनके आधार कार्ड व अद्यतन ई–जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने सम्बन्धी डॉ0 राजेश कुमार को प्रेषित पत्रों तथा उनका प्रति–उत्तर डॉ0 राजेश कुमार द्वारा अभी तक न दिये जाने का भी संज्ञान मा0 कार्य परिषद द्वारा लिया गया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि डॉ0 राजेश कुमार को निलम्बन अवधि में सम्बद्ध कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु तथा डॉ0 राजेश कुमार से उनके तथा उनके माता–पिता के मूल निवास, माता पिता के जीवित होने की दशा में उनके आधार कार्ड व अद्यतन ई–जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र निर्गत किया जाय तथा यदि डॉ0 राजेश कुमार द्वारा सम्बद्ध कार्यालय में उपस्थिति दर्ज न कराई जाय एवं वांछित सूचना/प्रपत्र उपलब्ध न कराया जाय तो इस तथ्य को भी अनुशासनिक समिति को संदर्भित किया जाय। *(अपेक्षित कार्यवाही–प्रशासन विभाग)*

अन्त में कुलसचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

25/06/2026
(राकेश कुमार मिश्र)
कुल सचिव/सचिव

प्रो०(विनय कुमार पाठक)
कुलपति/अध्यक्ष

कार्यालय पत्रांकः सी.एस.जे.एम.वि.वि./सा.प्रशा./.....497...../2026, *दिनांक 25.06.2026*

प्रतिलिपिः
1. *मा0 सदस्यगण–कार्यपरिषद की सेवा में सादर सूचनार्थ।*
2. *वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।*
3. *सम्बन्धित पत्रावली।*

25/06/2026
(राकेश कुमार मिश्र)
कुल सचिव/सचिव